COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(81)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी नि.ग 901 – PBR – 16

डी.एस. चौहान - एड. द्वारा आज दि. 15/3/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1– रामकरन सिंह पुत्र हरगोविन्द सिंह

2– गम्भीर सिंह पुत्र भगवान सिंह

जाति गूजर निवासीगण –ग्राम डोंगरपुर, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) ––––––आवेदकगण

बनाम

मध्य प्रदेश शासन –––––––अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 (नये संशोधन अधिनियम–2011) विरूद्ध आदेश तहसीलदार महोदय, तहसील ग्वालियर के प्र0क0 3/15–16/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 29.2.2016 से परिवेदित होकर।

डी. एस. चौहान
एडवोकेट
हाईकोर्ट म.प्र. ग्वा.

माननीय,

आवेदकगण का निगरानी आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:–

प्रभारी (रा.अ.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

प्रकरण के तथ्य:–

संक्षेप में इस प्रकार है कि, विवादित भूमि सर्वे नम्बर 425/1 मिन रकवा 1 वीधा, सर्वे नम्बर 426/1 मिन रकवा 10 वीधा, सर्वे नम्बर 427/2 मिन रकवा 5 वीधा कुल किता –3 कुल रकवा 16 वीधा ग्राम डोंगरपुर तहसील व जिला ग्वालियर में स्थित है, जिस पर आवेदकगण द्वारा अपने पूर्वजों के समय से कृषि कार्य किये जाने व आधिपत्य होकर, भूमिहीन कृषक होने के आधार पर तहसीलदार महोदय तहसील ग्वालियर के समक्ष पट्टा प्रदान किये जाने वावत आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार महोदय ने प्रकरण कमांक 158×162 अ19/60–61 पर दर्ज किया जाकर, ग्राम वासियो का मत लिया व पटवारी रिपोर्ट ली गई, किसी को कोई आपत्ति नहीं होने पर आवेदकगण को पट्टे की पात्रता होने से तहसीलदार

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 901/पीबीआर/16 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी तहसीलदार के न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 09.03.2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो। (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	